क्रमांक - 36

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग – दो

सोमवार, दिनांक 18 मई, 2026 (वैशाख 28, 1948)

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 16, ग्वालियर (पूर्व) से निर्वाचित सदस्य, डॉ. सतीश सिकरवार, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 14, ग्वालियर (ग्रामीण) से निर्वाचित सदस्य, श्री साहब सिंह गुर्जर, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 19, डबरा (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री सुरेश राजे, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 04, जौरा से निर्वाचित सदस्य, श्री पंकज उपाध्याय, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 06, मुरैना से निर्वाचित सदस्य, श्री दिनेश गुर्जर एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 13, गोहद (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री केशव देसाई को बंदी/रिहा किये जाने की सूचना.

....

पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 07.05.2026 द्वारा सूचित किया है कि:-

''बी.एन.एस.एस. अधिनियम की धारा 170 के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निर्देश देना अपना कर्तव्य समझा है कि विधानसभा के सदस्यगण डॉ. सतीश सिकरवार, श्री साहब सिंह गुर्जर, श्री सुरेश राजे, श्री पंकज उपाध्याय, श्री दिनेश गुर्जर एवं श्री केशव देसाई को शांति भंग के लिये बंदी/निरूद्ध कर लिया जाये, तद्नुसार डॉ. सतीश सिकरवार, श्री साहब सिंह गुर्जर, श्री सुरेश राजे, श्री पंकज उपाध्याय, श्री दिनेश गुर्जर एवं श्री केशव देसाई को दिनांक 07.05.2026 के दोपहर 13.10 बजे बंदी कर लिया है. अभिरक्षा में ले लिया गया है और उन्हें इस समय पुलिस लाईन ग्वालियर में रखा गया है. दिनांक 07.05.2026 के दोपहर 14.15 बजे वैयक्तिक बंध पर निर्मुक्त कर दिया गया है.''

अरविंद शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा